# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 09/2023 (आ.नि.)

GCMS NO : 2023/44

अनवान

1. श्री गुलाबसिंह पिता नाथूसिंह खरवड निवासी ढिकोडा, तह.गोगुन्दा, हाल तह.सायरा।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री डालसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी ढिकोडा तह. गोगुन्दा हाल सायरा
2. श्री पनसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी ढिकोडा तह. गोगुन्दा हाल सायरा
3. श्रीमती हगामीबाई पत्नी डालूसिंह राजपूत निवासी ढिकोडा तह. गोगुन्दा हाल सायरा
4. श्रीमती प्रताबीबाई पत्नी पनसिंह राजपूत निवासी ढिकोडा तह. गोगुन्दा हाल सायरा
5. सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा हाल तहसीलदार सायरा जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री भगवतसिंह शक्तावत अधिवक्त विपक्षी संख्या 1 से 4

प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् निरस्त कराये जाने आंवटन आदेश दिनांक 11.04.2013 अन्तर्गत प्रकरण सं. 201

* निर्णय *

दिनांक –29.08.2024

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा ढिकोडा, तहसील गोगुन्दा में आराजी संख्या 5191 रकबा 0.3300 है. भूमि किस्म बीड, स्थित है जिस पर प्रार्थी का कब्जा 50 वर्षो से लगातार शान्तिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के चला आ रहा है। प्रार्थी की कब्जेशुदा उक्त भूमि मगरीली थी जिसे खोद–खोद कर समतल बनाया परन्तु उसमें केवल घास होती है तथा प्रार्थी अपने पशुओं को चराता है कथित जमीन का नियमन/आवण्टन करवाने का प्रार्थी ही अधिकारी है। प्रार्थी ने इस भूमि के चारो तरफ पत्थर की कोट बना रखा है एवं शान्तिपूर्वक इसका उपयोग–उपभोग कर रहा है। विपक्षीगण का आदिनांक तक एक दिन भी कब्जा नही रहा है। परन्तु विपक्षी ने पटवारी हल्का से मिलमिलाकर यह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

जानते हुए कि इस जमीन पर प्रार्थी का कब्जा है विपक्षी का कथित जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी पटवारी हल्का ने लालचवश कथित जमीन को विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर आवन्टन करा लिया जबकि विपक्षी संख्या 1 से 4 भूमिहिन काश्तकार नहीं उनका संयुक्त परिवार होकर उनके पास 22 बीघा से अधिक जमीन है तथा उक्त जमीन पर उनका कब्जा ही नहीं है तो उसे डवलप करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । इस जमीन पर विपक्षीगण द्वारा एक भी दिन काश्त नहीं की गई है यानि कोई भी फसल पैदा नहीं की है ये जमीन बीड के रूप में पडी हुई है इस पर केवल घास पैदा होती है जिसे प्रार्थी काटकर ले जाता है तथा इस पर प्रार्थी की गाये, भैसे चरती है विपक्षी द्वारा शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर भी पटवारी हल्का ने खातेदारी अधिकार दे दिये तथा कथित आवण्टन के पूर्व नियम 7 के तहत उदघोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है न ही उदघोषणा पत्र की तामील ही करायी गयी है तथा तामील को हाथ में लेकर पटवारी ने विपक्षी संख्या 1 से 4 से मिलकर उक्त जमीन का आवण्टन करवा लिया जब कि विपक्षी संख्या 1 से 4 भूमिहिन काश्तकार नहीं है उन्होने यह आवन्टन धोखे से व मिसरिप्रजन्टेशन करवाया गया इस कारण ही यह आवण्टन स्पष्ट रूप से काबिल निरस्त के है। यह आवण्टन नियमों के विपरीत किया गया है व शर्तो की पालना भी नहीं की गयी है एवं प्रार्थी का कब्जा होते हुए भी तथा विपक्षीगण ये जानते हुए भी कथित आवण्टन करवा लिया जो स्पष्ट रूप से काबिल निरस्त के है। कथित आवंटन कृषि भूमि आवण्टन नियम 1970 के विपरित किया गया है नियम 7 की पालना नहीं की गयी है क्योंकि कथित भूमि के आवण्ट के पूर्व कोई उदघोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है न ही उदघोषणा पत्र की तामील ही करवाई गई है। ऐसी स्थिति में यह आवण्टन इसी आधार पर काबिल निरस्त के है। उक्त जमीन पर प्रार्थी का कब्जा 50 वर्षो से भी अधिक समय पूर्व से चला आ रहा है। प्रार्थी ने हजारों रूपये लागत लगा दी है व प्रार्थी का मौके पर शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है विपक्षी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण से कहा कि आप या तो पैसा ले लो या पैसा दे दो क्योंकि जमीन पर कब्जा शुरू से ही आपका ही है तथा इसका उपयोग–उपभोग आप ही कर रहे हैं परन्तु हमारे नाम पर आवटन हो जाने से आप हमे पैसे दे दो तो हम यह भूमि आपने नाम इन्द्राज करा देते है या आप पैसा लेकर उक्त भूमि का कब्जा हमे सिपुद्र कर देवे। इस कारण इस आवन्टन का ज्ञान होते ही आवंटन की नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। कानूनन उक्त भूमि को प्रार्थी अपने नाम पर आवंटन/नियमन कराने के अधिकारी है व विपक्षी का कथित जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है जैसा कि आर.आर.डी 1982 पेज 233 पर तय किया गया है यहां तक कि इसी बिन्दु को आर.आर.डी 1982 पेज 497 पर भी तय किया गया है। ऐसी स्थिति में केवल इसी आधार पर विपक्षी के हक में किया गया आवंटन आदेश निरस्त कराया जाना आवश्यक है। इस मामले में नियम 4 व 5 की पालना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

हीं की गयी है इस कारण भी कथित आवंटन काबिल निरस्त के है। क्योंकि नियम 4 व 5 के अनुसार सूची तैयार की जाकर पब्लिस की जाना आवश्यक होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना सूची के ही कथित आवंटन किया जो बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। कथित आवंटन के समय विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार नहीं थे उनका संयुक्त परिवार होकर उनके खाते में 22 बीघा से भी अधिक भूमि थी फिर भी भूमिहिन मानकार जो आवंटन किया वह स्पष्ट रूप से काबिल निरस्त के है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 से 4 के हक में किया गया आवंटन दिनांक 11.04.2013 निरस्त फरमाया जाकर कथित भूमि को पुनः बिलानाम सरकार इन्द्राज कराये जाने का आदेश प्रदान करया जावे व खर्चा मुकदमा प्रार्थी को विपक्षीगण से दिलाया जावे। अन्य कोई दाद जो न्यायालय उचित समझे दिलायी जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 से 4 को किया गया आंवटन विधि सम्मत होकर नियमानुसार है। विपक्षी संख्या 1 से 4 को आवंटित भूमि पर उनका आंवटन के वर्षो के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा था। विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही भी आवंटित भूमि के संबंध में की गई। प्रार्थी का भूमि पर कब्जा होना, लागत लगाना या प्रार्थी से लेनदेन की बात झुठी है। यदि आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा रहा होता तो वह आवंटन हेतु कार्यवाही करता व उसे कबकी आवंटित हो जाती। आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम विरासत से अन्य वारिसान के साथ 1/6 हिस्सा, रकबा साढे तीन – साढे तीन बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के हिस्से में विरासत से आयी है, जिससे विपक्षीगण भूमिहिन काश्तकार की श्रेणी में ही आते है, जिससे विपक्षीगण को किया गया आंवटन विधिसम्मत है। विपक्षीगण ने आवंटन को किस प्रकार से धोखा व मिसरिप्रजनटेशन किया गया है, ऐसे कोई तथ्य वर्णित नहीं किये गये है। विपक्षीगण को आंवटित भूमि पर विपक्षीगण का आवंटन के वर्षो पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा था, जिस पर विपक्षीगण की चारो तरफ चार दिवारी बनी हुई व विपक्षीगण काश्तकार की श्रेणी में भी आते है, जिससे विपक्षीगण को किया गया आवंटन नियमानुसार एवं विधिसम्मत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त के हैं। विपक्षीगण आवंटन के समय भूमिहिन की श्रेणी में आते थे। विपक्षीगण संयुक्त परिवार के खाते में 22 बीघा भूमि अवश्य दर्ज है किन्तु विपक्षी संख्या 1 व 2 को विरासत से केवल साढे तीन–साढे तीन बीघा भूमि ही प्राप्त हुई है। विपक्षी संख्या 1 के नाम विरासत से आयी भूमि 1/6 हिस्सा यानि साढे तीन बीघा एवं विपक्षी संख्या 2 के नाम आयी भूमि 1/6 हिस्सा यानि साढे तीन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

बीघा ही विरासत से आयी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है विपक्षी संख्या 3 व 4 विपक्षी संख्या 1 व 2 की पत्नीयां है उनके नाम पूर्व में कोई भूमि दर्ज नहीं थी। उक्त आवंटन विपक्षीगण भूमिहिन काश्तकार की श्रेणी में ही आते थे। विपक्षीगण को आंवटित भूमि आवंटन के पूर्व रेकार्ड मे बिलानाम सरकार दर्ज थी, जिससे आवंटित भूमि अनऑक्युपाईड भूमि की श्रेणी में आती है तथा उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन पूर्व से ही विपक्षी संख्या 1 व 2 का वर्षो पूर्व से कब्जा चला आ रहा होने से तहसीलदार साहब गोगुन्दा द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम आवंटित भूमि आराजी संख्या 1 व 2 के नाम धारा 91 एलआरएक्ट के नोटिस भी जारी किये गये थे। आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का पुराना कब्जा होने से आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षीगण को नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया है। विपक्षीगण को भूमि का आवंटन वर्ष 2013 में हुआ है, जिसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से रही है तथा आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी विपक्षीगण को प्राप्त हो गये हैं तथा प्रार्थी पीडित पक्षकार भी नहीं है, ऐसी स्थिति में आंवटन की दीर्घ अवधि पश्चात बिना किसी आधार के केवल मात्र द्वेषतावश प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त के है। विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटित भूमि उत्तरदाता को वर्ष 2013 में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण रूप से विधि सम्मत, नियमानुसार आवंटित की गई थी। उत्तरदाता को आवंटित भूमि के प्रार्थीगण पडौसी खातेदार होने से प्रार्थीगण को भूमि के आंवटन व उत्तरदाता के कब्जे काश्त की सम्पूर्ण जानकारी प्रारंभ से ही है फिर भी 10 वर्षो पश्चात अत्यधिक विलम्ब से मनगढंत व मिथ्या आधारों पर प्रार्थीगण द्वारा उत्तरदाता से द्वेषतावश परेशान करने की मंशा से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्त के है। भूमि आंवटन के पश्चात आवंटन नियमानुसार आंवटित भूमि के गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार भी उत्तरदाता को प्रदान कर दिये गये हैं तथा कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आंवटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय को विधि के सुस्थापित सिद्धांत अनुसार प्रार्थना पत्र नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 को निस्तारित करने में यह देखना आवश्यक है कि आवंटी ने भूमि के आवंटन हेतु क्या छल, कपट व मिसरिप्रजेन्टेशन किया है तथा आवंटन पश्चात नियमानुसार आवंटित भूमि को काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थीगण के पूरे प्रार्थना पत्र में कही भी आवंटी द्वारा क्या छल, कपट कर भूमि आवंटित कराई नहीं बताया गया है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त के है। उत्तरदाता का आवंटित भूमि पर आवंटन के पूर्व से कब्जा होने से उत्तरदाता को वर्ष 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 में एलआरएक्ट के नोटिस जारी किये गये है। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि आवन्टी भूमिहिन नहीं है। आवंटन करा लिया शर्तो की पालना नहीं की है। मेरा कब्जा है, 91 का नोटिस मिला है। संयुक्त परिवार है, 22 बीघा जमीन की नकले पेश की है। मौजूदा जमीन से कम बताकर गलत बता कर आंवटन करा ली है। बीड है चारा होता है खेती लायक नहीं होने से आंवटन नहीं की जा सकती है। प्रोक्लेमेशन जारी नहीं हुआ है। चस्पांगी नहीं हुई है। नियम 7 की पालना भी नहीं की है। आवंटन के बाद अभी तक काश्त नहीं हुई है। अतः आवंटन खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने समर्थन में निम्न नजीर पेश कीः–

- RRD 1982 page 497
- RRD 1995 page 340
- RRD 1985 page 564 B
- RRD 2002 page 1
- RRD 1998 page 589
- RNT 2001(2) page 1378
- RRT 2005 page 83
- RRT 2001(2) page 1358
- RRD 1994 page 311
- RRD 1982 page 497, 237

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया आंवटन नियमानुसार हुआ है। कमेटी के हस्ताक्षर है विधिक प्रकिया अपनाई है उद्घोषणा हुई है पटवारी की रिपोर्ट में अंकन किया है। 22 बीघा भूमि पिता के नाम पर है जिसमें 1/6 हिस्सा ही था। असिंचित भूमि है इससे अधिक भूमि होने पर भी आंवटन किया जा सकता है। आपका पुराना कब्जा था तो आवंटन कब्जा नियमन करा सकते थे। धारा 91 के नोटिस 2008 में मीले 2013 का आंवटन है। कब्जा आपका रहा होगा तो बेदखल कर दिया गया होगा। मेरा कब्जा देखते हुए आंवटन किया है। आवंटन के वक्त आपका कोई प्रार्थना पत्र पेण्डिग नहीं था। मेरा पुराना कब्जा देखते हुए नियमानुसार प्रकिया पूर्ण करते हुए आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने समर्थन में निम्न नजीर पेश कीः–

- RRT 2018 page 299

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

- RRT 2018(2) page 1007
- RRT 2016(2) page 756
- RRT 2016+17 (Supp) page 271
- RBJ 1995(2) page 780
- RNT 2001(2) page 1378
- राजस्थान भू.राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के 3 ख एवं 12 ( आवंटन की मात्रा)

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय की आवंटन पत्रावली का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। प्रकरण में आवंटी श्री डालूसिंह पनसिंह पिता देवीसिंह एवं श्रीमती हगामी बाई पत्नी डालूसिंह एवं प्रताबी बाई पत्नी पनसिंह निवासी ढिकोडा तह. गोगुन्दा द्वारा आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर आंवटन कमेटी द्वारा दिनांक 11.04.2013 को आवंटन कमेटी की सिफारिश के आधार पर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए मौजा ढिकोडा की आराजी नम्बर 5191 रकबा 0.3300 है. भूमि का आंवटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण धारा कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश कर उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होकर प्रार्थी का कब्जा होने का तर्क देकर आवंटन निरस्त किया जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी के कथनानुसार उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है जिसका धारा 91 का नोटिस दिनांक 12.10.2001 को दिया गया है। आवंटी खातेदार द्वारा अपने समर्थन में कब्जे बाबत् धारा 91 के नोटिस दिनांक 02.09.08, 18.09. 209,19.09.2011, 4.09.2012 का पेश किया गया है। उक्त नोटिस से प्रथम दृष्टया यह तो स्पष्ट है कि आवंटी खातेदार का पुराना लम्बे समय से कब्जा होने से उसे आंवटन की गई है। प्रार्थी द्वारा कब्जे बाबत पर्याप्त कोई अन्य ठौस सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे प्रार्थी के कब्जे को साबित किया जा सके।

प्रार्थी का तर्क है कि आवंटी के नाम अधिक भूमि थी, प्रार्थी द्वारा कमेटी को गलत जानकारी बताकर भूमि आवंटन करा ली गई है, इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा तर्क दिया है कि पैतृक भूमि होने से केलव 1/6 हिस्सा ही बनता है। जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन नियम 1970 के नियम 12 " आवंटन की मात्रा– इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय आंवटित की जाने वाली भूमि की सीमा 4 है. से अधिक नहीं होगी, किन्तु शर्त यह होगी कि किसी भी दशा में इन नियमों के अधीन आवंटित किया जाने वाला कुल क्षैत्रफल आंवटिति द्वारा पहले से ही धारित क्षैत्रफल अथवा उसके काल्पनिक हिस्से सहित यदि भूमि संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित हो, 4 है. से अधिक नहीं होगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

नियम 11 (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोडकर किसी अवयस्क के पक्ष में कोई भी आवंटन नहीं किया जायेगा।" अतः उक्त नियम के अनुसार कमेटी द्वारा आवंटन नियमानुसार गैर खातेदार के रूप में किया गया है। आवंटी द्वारा अपने आवंटन में नियत शर्तो की पालना करने के उपरान्त ही नियमानुसार जांच के उपरान्त ही आवंटी को खातेदारी प्रदान कर खातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह कहीं पर भी अंकन नहीं किया है कि प्रार्थी का पुराना कब्जा था एवं उसने भी आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था या उसका आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र लम्बित रहते हुए आवंटन कर दिया गया। आवंटन वर्ष 2013 में किया गया है एवं प्रार्थी द्वारा वर्ष 2023 में आवंटन निरस्त हेतु वाद प्रस्तुत किया है जो कि 10 वर्षो के पश्चात प्रस्तुत किया है जबकि यदि कब्जे/खातेदारी बाबत् विवाद था तो प्रार्थी को इसका ज्ञान कबका हो जाना चाहिए, खातेदारी मिलने की प्रकिया के दौरान भी प्रार्थी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता था। प्रार्थी का धारा 91 का केवल मात्र 1 नोटिस दिनांक 12.10.2001 का प्रस्तुत किया है इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिससे प्रार्थी का लम्बे समय से कब्जा साबित हो सके। माननीय न्यायालय को विधि के सुस्थापित सिद्धांत अनुसार प्रार्थना पत्र नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 को निस्तारित करने में यह देखना आवश्यक है कि आवंटी ने भूमि के आवंटन हेतु क्या छल, कपट व मिसरिप्रजेन्टेशन किया है तथा आवंटन पश्चात नियमानुसार आवंटित भूमि को काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं प्रकरण के अवलोकन से यह कहीं भी साबित नहीं होता है आवंटन धोखे से गलत जानकारी देकर करा लिया गया है। केवल मात्र कथन के आधार पर आवंटी खातेदार का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)